

क्रमांक:- एफ.4(ई)निप/जी-3107/2013/अलेसे-आ/1921

दिनांक :- 21/2/24

आदेश संख्या- 103/2023-24

सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर के पत्र क्रमांक न्यास/स्थापन शाखा/2024/2117 दिनांक 11.02.2024 द्वारा श्री गणेश कलवाणी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ (लिंक नम्बर-12821) पदस्थापन कार्यालय सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर को पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर के द्वारा पी.सी. एक्ट के अपराध में गिरफ्तार किये जाने एवं श्री कलवाणी के पुलिस अभिरक्षा में 48 घण्टे से अधिक का समय व्यतीत होने के क्रम में सूचित किये जाने पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा श्री गणेश कलवाणी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ, कार्यालय सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर को दिनांक 09.02.2024 (गिरफ्तारी दिनांक) से तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

इन्हें निलम्बन काल के दौरान राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 53(1) के अन्तर्गत नियम 53(2) की पालना करने पर नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। निलम्बनकाल में इनका मुख्यालय, कोषालय, कोटा किया जाता है, जहाँ ये नियमित रूप से उपस्थिति देंगे।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन,
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)निप/जी-3107/2013/अलेसे-आ/1921

दिनांक :- 21/2/24

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 1124-28 दिनांक 14.02.2024 के क्रम में।
2. सचिव नगर विकास न्यास बीकानेर।
3. कोषाधिकारी कोटा।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने/पीआईएस इन्द्राज हेतु।
6. श्री गणेश कलवाणी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ (लिंक नम्बर-12281) कार्यालय सचिव नगर विकास न्यास बीकानेर।
7. जांच शाखा/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट।
8. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।


(के.जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक)